समाचार

31 मार्च से पूर्व बकाया कर राशि जमा न करने पर बड़े बकायादारों के नाम होंगे सार्वजनिक, होगी कुर्की की कार्यवाही

(आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने राजस्व वसूली कार्यप्रगति की समीक्षा की, वसूली कार्य में तेजी लाने एवं 31 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के दिए निर्देश)

कोरबा 14 मार्च 2022 – एक लाख रूपये से अधिक राशि के बकायादारों को बकाया राशि जमा करने हेतु 31 मार्च तक का समय दिया गया है, उक्त अवधि के अंदर वे बकाया कर राशि जमा कराएं, अन्यथा उनके नाम सार्वजनिक करने के साथ ही कुर्की की कार्यवाही भी निगम द्वारा की जाएगी। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने इन बड़े बकायादारों को उक्ताशय के संबंध में नोटिस जारी करने के साथ ही वसूली कार्यो में तेजी लाने तथा 31 मार्च तक निर्धारित वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों व निरीक्षकों को दिए हैं, इस मौके पर निगम के जोन कमिश्नर भी उपस्थित थे।

यहॉ उल्लेखनीय है कि सम्पत्तिकर, समेकित कर, जलकर, भवन दुकान किराया सहित अन्य करों के माध्यम से करदाताओं द्वारा निगम को राजस्व प्राप्त होता है, उनके द्वारा नियमित रूप से करों का भुगतान न किए जाने के परिणाम स्वरूप एक बड़ी राशि बकाया कर के रूप में निगम को प्राप्त करनी है। आज आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में जोन कमिश्नरों, राजस्व अधिकारियों एंव निरीक्षकों की बैठक लेकर राजस्व वसूली की जोनवार व वार्डवार समीक्षा की। उन्होने कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, पं.रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, सर्वमंगला व बांकीमोंगरा जोन के सभी वार्डो की वार्डवार राजस्व वसूली व बकाया राशि की समीक्षा करते हुए वसूली की धीमी कार्यप्रगति पर नाराजगी जाहिर की तथा राजस्व प्रभारियों को वसूली कार्य में तेजी लाने एवं निर्धारित वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि एक लाख रूपये से अधिक के जिन बकायादारों द्वारा 31 मार्च के अंदर बकाया कर की राशि जमा नहीं कराई जाती, उनके नाम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें तथा कुर्की की कार्यवाही संपादित कराएं। इसी प्रकार जिन होटल संचालकों द्वारा बकाया कर नहीं जमा किया जा रहा है, उन्हें भी 31 मार्च तक का समय दिया गया है कि वे उक्त अवधि के अंदर बकाया राशि जमा कराएं अन्यथा होटल सील करने की कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निर्देशित करते हुए कहा कि जोन कमिश्नर अपने जोन में समय–समय पर राजस्व वसूली की कार्यप्रगति की समीक्षा करें, राजस्व अमले पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए वसूली कार्य में तेजी लाएं। उन्होने राजस्व अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जोन के

राजस्व प्रभारी प्रतिदिन अपने जोन में वार्डवार वसूली का लक्ष्य निर्धारित करें, वसूली कार्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कराएं तथा वार्डवार वसूली लक्ष्य को प्राप्त करें।

करदाताओं को प्रेरित करें, निरंतर संपर्क में रहें – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने राजस्व अधिकारियों व निरीक्षकों से कहा कि वे अपने वार्ड व जोन अंतर्गत करदाताओं व बकायादारों से निरंतर संपर्क करें, उन्हें प्रेरित करें कि वे समय पर करों को जमा कराएं, साथ ही करदाताओं को बताएं कि निर्धारित समय पर कर जमा करने पर उन्हें क्या लाभ प्राप्त होते हैं तथा करों का भुगतान समय पर न किए जाने पर उनके ऊपर करों का बोझ बढ़ता जाता है और एक बड़ी राशि बकाया के रूप में निर्मित हो जाती है।

भवन दुकान किराया वसूली की समीक्षा– बैठक के दौरान आयुक्त श्री पाण्डेय ने भवन दुकान किराया के बकाया राशि की वसूली तथा इस दिशा में की गई अब तक की कार्यवाही की समीक्षा की।

संबंधित राजस्व अधिकारी ने बताया कि विगत दो माह के दौरान दुकान किराया बकाया राशि जमा न करने वाले लगभग 125 दुकानदारों की दुकानों पर ताला लगाया गया है तथा इस दौरान लगभग डेढ़ करोड़ रूपये से अधिक राशि की वसूली भी बकाया किराया के रूप में की गई है। आयुक्त श्री पाण्डेय ने निर्देशित करते हुए कहा कि प्रतिदिन कार्यवाही जारी रखें तथा जिन दुकानदारों द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जा रही, उन दुकानों पर ताला लगाएं, बकाया राशि जमा करने के पश्चात ही ताला खोले।

बैठक के दौरान जोन कमिश्नर ए.के.शर्मा, एम.एन.सरकार, विनोद शांडिल्य, अखिलेश शुक्ला, तपन तिवारी, संपदा अधिकारी श्रीधर बनाफर, राजस्व अधिकारी रघुराज सिंह, राजबहादुर सिंह, अनिरूद्ध सिंह, के. एस.क्षत्री, अशोक बनाफर आदि के साथ निगम के राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक एवं सहायक राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।